रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127

REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 252] नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 12, 1989/चैत्र 22, 1911

No. 252] NEW DELHI, FRIDAY, MAY 12, 1989/CHAITRA 22, 1911

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 मई, 1989

सा.का.नि. 518 (अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आकाशवाणी (महानिदेशक आकाशवाणी और दूरदर्शन भर्ती) नियम, 1963 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्—

1. इन नियमों का संक्षिप्त नाम आकाशवाणी (महानिदेशक आकाशवाणी और दूरदर्शन भर्ती) (संशोधन) नियम, 1989 है।

(2) यह 4 अक्तूबर, 1988 से ही प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

2. आकाशवाणी (महानिदेशक, आकाशवाणी और दूरदर्शन भर्ती) नियम, 1963 की अनुसूची के स्थान पर, निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी, अर्थात्—

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े हुए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा
1	2	3	4	5	6	7
महानिदेशक आकाशवाणी/दूरदर्शन	2* (1989) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "क" राजपत्रित	7600.00 (नियत)	चयन	नहीं	50 वर्ष से अधिक नहीं। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।)

7
टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत के अभ्यर्थियों से (उनसे भिन्न जो अंडमान और निकोबार द्वीप तथा लक्षद्वीप में हैं।) आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।
8	9	10
आवश्यक: (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री या समतुल्य। (ii) संचार, शिक्षा, साहित्य, संस्कृति और ललितकला से संबंधित किसी संगठन में पर्यवेक्षी हैसियत में 15 वर्ष का अनुभव। (iii) ऊपर (2) में वर्णित किसी संगठन में विभागाध्यक्ष के रूप में 3 वर्ष का अतिरिक्त प्रशासनिक अनुभव। (iv) भारत की सांस्कृतिक विरासत और कलात्मक अभिव्यक्तियों का ज्ञान। (v) जनसंपर्क साधन में विकास के सामाजिक रूप का ज्ञान। टिप्पण 1: अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। टिप्पण 2: अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) संघ लोक सेवा आयोग से विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है (हैं) जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले इन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।	नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए 1 वर्ष।

भर्ती की पद्धति/भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण किया जाएगा
11	12
प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण/पुनर्नियोजन द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा	प्रोन्नति: ऐसा अपर महानिदेशक, आकाशवाणी/दूरदर्शन जिसने उस श्रेणी में 3 वर्ष नियमित सेवा की है। टिप्पण: आकाशवाणी और दूरदर्शन के बीच काडरों के पृथक्करण होने की स्थिति में अन्य माध्यम से अपर महानिदेशक, पर विचार किया जाएगा और यदि चयन हो जाता है वह प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा समझा जाएगा न कि प्रोन्नति द्वारा।

12
प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण—(i) अखिल भारतीय सेवा या केन्द्रीय सेवा समूह "क" के ऐसे अधिकारी जो अपर सचिव के रूप में कार्य कर रहे हैं या उस पद पर नियुक्ति के पात्र हैं।
(ii) उस माध्यम से भिन्न जिससे रिक्ति हुई है कि ऐसे अपर महानिदेशक जिसने उस श्रेणी में 3 वर्ष नियमित सेवा की है।
(iii) किसी भी माध्यम से कार्यक्रम प्रस्तुति काडर के ऐसे अधिकारी जिन्होंने ज्येष्ठ प्रशासनिक काडर में 3 वर्ष नियमित सेवा की है और जिनके पास पर्यवेक्षी हैसियत से कम 5 वर्ष का सामान्य प्रशासनिक अनुभव है और आयोजन करने की पर्याप्त योग्यता है।
(फीडर प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।) उसी प्रकार प्रतिनियुक्त किए गए व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी।
पुनर्नियोजन अखिल भारतीय सेवा या केन्द्रीय सेवा समूह "क" के ऐसे सेवा-निवृत्त अधिकारी जो अपनी सेवानिवृत्ति की तारीख को अपर सचिव, भारत सरकार की अन्यून पंक्ति या समतुल्य पद पर कार्य कर रहे हैं।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
13	14
समूह "क" विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

[सं. 12019/2/88-बी(ए)]

आर. सी. सिन्हा, संयुक्त सचिव

टिप्पण पुष्टि से संबंधित विभागीय प्रोन्नति समिति की कार्यवाहियां संघ लोक सेवा आयोग के अनुमोदनार्थ भेजी जाएंगी किन्तु यदि आयोग उनका अनुमोदन नहीं करता है तो विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य की अध्यक्षता में फिर से होगी।

मूल नियम सा.का.नि. सं. 1155 तारीख 6-7-1963 द्वारा अधिसूचित किए गए थे और तत्पश्चात् उनका सा.का.नि. सं. 874 तारीख 16-10-1982 और सा.का.नि. सं. 103(अ) तारीख 27-2-1985 द्वारा संशोधन किया गया।

स्पष्टीकरण ज्ञापन

महानिदेशक, आकाशवाणी और दूरदर्शन के पद के लिए भर्ती नियम में उस श्रेणी में वर्तमान रिक्ति को भरने के लिए व्यापक विकल्प के उद्देश्य से भूतलक्षी संशोधन किया गया है। इस भूतलक्षी प्रवर्तन से किसी भी व्यक्ति के हित पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th May, 1989

G.S.R. 518 (E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the All India Radio (Recruitment of Director General, All India Radio and Doordarshan) Rules, 1963* namely :-

1. These rules may be called the All India Radio (Recruitment of Director General, All India Radio and Doordarshan) (Amendment) Rules, 1989.

(2) They shall be deemed to have come into force on and from the 4th day of October, 1988.

2. For the Schedule to the All India Radio (Recruitment of Director General, All India Radio and Doordarshan) Rules, 1963, the following schedule shall be substituted, namely :-

SCHEDULE

Name of Post	Number of post	Classification	Scale of Pay	Whether selection Post or Non-Selection post.	Whether benefits of added years of service admissible under rule 30 of the C.C.S. (Pension) Rules, 1972.	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Director General, All India Radio/ Doordarshan.	2* (1989) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A', Gazetted.	Rs. 7600/- (Fixed)	Selection	No	Not exceeding 50 years. (Relaxable for Government servants upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.) Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India other than those in Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of Promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment, Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer & percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(8)	(9)	(10)	(11)
Essential : (i) Degree from a recognised University or equivalent. (ii) 18 years experience in a supervisory capacity in and organisation dealing with Mass Communication, Education, Literature, Culture and Fine Arts. (iii) Additional three years of administrative experience as the Head of the organisation of the type mentioned in (ii) above. (iv) Knowledge of India's cultural heritage and forms of artistic experessions. (v) Knowledge of current trends of development in Mass Media. Note 1 : Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified. Note 2 : The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in the case of candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes if, at any stage of the selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from the communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.	No	One year for direct recruits.	By promotion/transfer on deputation/re-employment failing which by direct recruitment.

In case of recruitment by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made.

(12)

Promotion

Additional Director General, All India Radio/Doordarshan with three years' regular service in the grade.

Note . In the event of separation of cadres between All India Radio and Doordarshan, Additional Director General from the other media may be considered and if selected, shall be treated as "Transfer on deputation" and not on "Promotion".

Transfer on deputation :

(i) Officers of All India Service or Central Services Group 'A' working in or eligible for appointment as Additional Secretary to the Government of India.

(ii) Additional Director General with three years' regular service in the grade in the medium other than one in which the vacancy has arisen.

(iii) Officers in Programme Production Cadre in either of the media with three years' regular service in Senior Administrative Grade and having at least five years' of general administrative experience in supervisory capacity and having adequate organising ability.

(The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Period of deputation inlcuding period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same for some other organisation/department of the Central Government shall not exceed five years).

Re-employment :

Retired officers of All India Services or Central Services Group 'A' who were working against the post in the rank not less than Additional Secretary to the Government of India or equivalent on the date of their retirement.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(13)	(14)
Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) : Secretary, Ministry of Information and Broadcasting. Note : The proceedings of the Departmental Promotion Committee relating to confirmation shall be sent to the Union Public Service Commission for approval. If, however, these are not approved by the Commission a fresh meeting of the Departmental Promotion Committee to be presided over by the Chairman or a Member of the Commission shall be held.	Consultation with the Commission will be necessary."

[No. 12019/2/88-B(A)]
R. C. Sinha, Jt. Secy.

*The Principal rules were notified vide G.S.R. No. 1155 dated 6-7-1982 and subsequently amended vide G.S.R. No. 874 dated the 16-10-1982 G.S.R. No. 103(B) dated the 27-2-1985.

EXPLANATORY MEMORANDUM

The Recruitment Rules for the post of Director General, All India Radio and Doordarshan are being amended retrospectively to have wider choice for filling up the present vacancy in the grade. The interest of no one would be prejudicially affected by the retrospective operation of the Rules.

R.C. SINHA, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1989